राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह / ग्रुप–9 / 2019 जयपुर, दिनांक : 16.06.2020

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

विषय : **व्यक्तियों के निर्बाध अन्तर्राज्यीय आवागमन की बहाली।**

संदर्भ : **इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10 जून, 2020**

राज्य में दैनिक नये कोविड–19 पॉजिटिव केसेज की स्थिति स्थिर होने, राज्य का रिकवरी रेट देश में बेहतरीन होने एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने के कारण लोगों को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून, 2020 के द्वारा व्यक्तियों के राज्य के अन्दर आने एवं बाहर जाने पर लगाई गई शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

अतः व्यक्तियों के राज्य में अन्दर आने अथवा बाहर जाने हेतु निर्बाध आवागमन की पूर्व व्यवस्था इस शर्त के साथ बहाल की जाती है कि समस्त व्यक्ति, जो राज्य में प्रवेश अथवा निकास कर रहे हैं, उनको प्रवेश / निकासी स्थान पर स्क्रीन किया जाये। पूर्व में स्थापित चैकपोस्ट स्क्रीनिंग के उद्देश्य के कारण यथावत स्थापित रहेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अब किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश करने अथवा राजस्थान से निकासी हेतु किसी प्रकार के पास अथवा NOC आदि की आवश्यकता नहीं होगी।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त महानिरीक्षक पुलिस / उपमहानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह